



भारत चलिङ्गरेन एंड आरम्भ कनफ्लकिट रपिोर्ट से बाहर

प्रलिमिंस के लयि:

रपिोर्ट ऑन चलिङ्गरेन एंड आरम्भ कनफ्लकिट, [संयुक्त राष्ट्र महासभा, कशिोर न्याय अधनियिम, 2015](#), [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधनियिम](#)

मेन्स के लयि:

बच्चों की सुरक्षा के लयि भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, चलिङ्गरेन एंड आरम्भ कनफ्लकिट से संबंधति वैश्वकि अभसिमय, बच्चों पर आरम्भ कनफ्लकिट का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2010 के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासचवि ने बच्चों की सुरक्षा के लयि भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए भारत को रपिोर्ट ऑन चलिङ्गरेन एंड आरम्भ कनफ्लकिट 2023 से बाहर रखा है।

- भारत पर जम्मू-कश्मीर (J&K) में सशस्त्र समूहों में लडकों की भरती और उनके इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। वर्ष 2022 में [जम्मू-कश्मीर](#) में बच्चों के खिलाफ अधिक संख्या में उल्लंघन की पुष्टि हुई।

रपिोर्ट ऑन चलिङ्गरेन एंड आरम्भ कनफ्लकिट:

- पृष्ठभूमि:**
 - 25 वर्ष पूर्व दसिंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों को शोषण से मुक्त करने और उनका दुरुपयोग रोकने के लयि एक जनादेश तैयार करने का अभूतपूर्व नरिणय लयिा था तथासंकल्प 51/77 की सहायता से चलिङ्गरेन एंड आरम्भ कनफ्लकिट (CAAC) जनादेश का नरिमाण कयिा।
 - 51/77 प्रस्ताव में सफिरशि की गई कि बच्चों के सशस्त्र समूहों में भरती होने से उन पर पडने वाले प्रभाव का आकलन करने के लयि महासचवि द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लयि एक वशिष प्रतनिधि की नयिुक्ती की जानी चाहयिे।
- उद्देश्य:**
 - सशस्त्र संघर्ष से प्रभावति बच्चों के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, जागरूकता बढ़ाना, युद्ध से प्रभावति बच्चों की दुर्दशा के बारे में सूचना संग्रह को बढ़ावा देना तथा उनकी सुरक्षा में सुधार के लयि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
 - इस रपिोर्ट में वभिनिन सुरक्षा बलों द्वारा बच्चों को हरिसत में लेने, हत्या करने आदिका भी जकिर कयिा गया है।
- हालया अवलोकन:**
 - बच्चों के प्रती होने वाले वभिनिन प्रकार के उल्लंघनों के बारे में प्राप्त सूचना के अनुसार, 2,985 बच्चों की हत्या और 5,655 बच्चों के अपंग/घायल होने की सूचना मली, यह कुल (8,631) मलाकर प्रभावति होने वाले बच्चों की सबसे अधिक संख्या है।
 - इसके बाद 7,622 बच्चों की भरती और उपयोग तथा 3,985 बच्चों के अपहरण की भी जानकारी मली है। इसके अतरकिट 2,496 बच्चों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडे कारणों अथवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठनों के रूप में वर्गीकृत समूहों सहति सशस्त्र समूहों के साथ उनके वास्तवकि या कथति संबंधों के कारण गरिफ्तार कयिा गया था।
 - सबसे अधिक संख्या में उल्लंघन करने वाले देशों में डेमोक्रेटकि रपिब्लकि ऑफ कांगो, इजरायल, फलिस्तीन राज्य, सोमालया, सीरया, यूकरेन, अफगानसितान और यमन शामिल थे।

बच्चों की सुरक्षा के लयि भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- जम्मू-कश्मीर में बीते समय में उचति कारय प्रणालयिों में कमी देखी गई, क्योंकि यहाँ कशिोर न्याय अधनियिम, 2015 लागू नहीं कयिा गया था और भारत में कशिोरगृह प्रभावी ढंग से काम भी नहीं कर रहे थे।
 - हालाँकि इन मुद्दों के समाधान के लयि उपाय कयि गए हैं, जनिमें जेजे अधनियिम, 2015 के अंतरगत बाल कलयाण समतियिों, कशिोर

न्याय बोर्ड और [बाल देखभाल गृह](#) जैसे बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना शामिल है।

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा [अनुशासति कई उपाय](#) भारत में पूरे में ही लागू किये जा चुके हैं एवं वर्तमान में उनका संचालन हो रहा है। बच्चों की सुरक्षा के लिये सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं और पैलेट गन का उपयोग नलिंबति कर दिया गया है।
 - इसके अतिरिक्त कश्मिर न्याय अधिनियम और [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधिनियम, 2012](#) को सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है।
- बच्चों की सुरक्षा के लिये कानूनी और प्रशासनिक ढाँचे के कार्यान्वयन तथा छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, ओडिशा एवं जम्मू-कश्मीर में बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुँच की भी UNGA द्वारा सराहना की गई।
 - इसके अलावा बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिये जम्मू-कश्मीर आयोग की स्थापना में प्रगतिको स्वीकार किया गया।

संबंधित वैश्विक सम्मेलन:

- सैनिकों के रूप में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भरती या उपयोग को [संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते \(CRC\)](#) और [जेनेवा सम्मेलनों के अतिरिक्त प्रोटोकॉल](#) द्वारा प्रतिबिधित किया गया है।
 - CRC का कहना है कि बचपन की स्थिति वयस्कता से अलग है और यह 18 वर्ष की आयु तक रहती है ; यह एक विशेष, संरक्षित समय है, जिसमें बच्चों को सम्मान के साथ बढ़ने, सीखने, खेलने, विकसित होने और फलने-फूलने की अनुमति दी जानी चाहिये।
 - जनिवा कन्वेंशन और उसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का मूल हैं, जो सशस्त्र संघर्ष के स्थिति को नियंत्रित करता है और इसके प्रभावों को सीमित करने का प्रयास करता है। ये उन लोगों की रक्षा करते हैं जो युद्ध में हिससा नहीं लेते या जो अब ऐसा नहीं कर रहे होते हैं।
- सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी पर CRC का वैकल्पिक प्रोटोकॉल 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से राज्य या गैर-राज्य सशस्त्र बलों में भरती होने या सीधे युद्ध में शामिल होने से रोकता है।
 - मानवाधिकार संधियों की वैकल्पिक प्रोटोकॉल संधियों हैं, साथ ही यह उन देशों के लिये हस्ताक्षर, परगिरहण या अनुसमर्थन हेतु खुले हैं जो मुख्य संधिके पक्षकार हैं।
- [अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय \(ICC\)](#) के रोम कानून के अंतर्गत बाल सैनिकों की भरती को भी युद्ध अपराध माना जाता है।
- इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र ने बाल सैनिकों की भरती तथा प्रयोग को छह "गंभीर उल्लंघनों" के रूप में पहचाना है:



नोट:

- भारत, **CRC** का एक पक्षकार है, साथ ही नवंबर 2005 में वैकल्पिक प्रोटोकॉल में शामिल हुआ। संवधान के **CRC** में शामिल अधिकांश अधिकारों को **मौलिक अधिकारों** तथा **राज्य के नीति निर्देशक संधिधाराओं (DPSP)** के रूप में शामिल किया गया है।
 - अनुच्छेद 39 (f) में कहा गया है कि **बच्चों को स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा सम्मानजनक स्थितियों में विकसित होने के अवसर तथा सुविधाएँ** प्रदान की जाती हैं, इसके साथ ही बचपन तथा युवावस्था के शोषण, नैतिक तथा भौतिक परतियाग के वरिद्ध संरक्षण प्रदान किया जाता है।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC)**, राज्य सशस्त्र बलों या गैर-राज्य सशस्त्र समूहों द्वारा **18 वर्ष से कम उमर के व्यक्तियों की सेना में भरती या प्रयोग को अपराध** घोषित करता है।
 - **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)** में **18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों की भरती** की जाती है।

बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष का प्रभाव:

हत्या तथा अपंगता: संघर्षों में आमतौर पर बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से नशाना बनाया जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है या उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। इसमें **सोच-समझकर की गई हत्या की घटनाओं के साथ हिसा के कृत्य** शामिल हैं जो शारीरिक हानि या विकलांगता का कारण बनते हैं।

- **भरती तथा उपयोग:** सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों को **बलपूर्वक भरती कर या युद्ध में भाग लेने के लिये बाध्य कर उनका शोषण** किया जाता है। बच्चों का उपयोग लड़ाकू, **संदेशवाहक, जासूस या अन्य सहायक भूमिकाओं के लिये** किया जा सकता है।
- **अपहरण और जबरन वसिस्थापन:** बच्चों को अक्सर अपहरण का शिकार होना पड़ता है तथा उन्हें जबरदस्ती उनके परिवार से दूर ले जाया जाता है। **आर्म्ड कनफ्लिक्ट के कारण व्यापक स्तर पर वसिस्थापन भी होता है** जिससे बच्चों को अपने घरों, स्कूलों और समुदायों से भागने के लिये विवश होना पड़ता है। इस कारण उन्हें अक्सर आघात तथा अपने परिवारों से अलगाव का सामना करना पड़ता है।
- **यौन हिसा और शोषण:** संघर्ष की स्थितियों के कारण **बच्चों के शोषण और यौन हिसा** का खतरा बढ़ जाता है। वे **बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति, तस्करी तथा अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार** के प्रती संवेदनशील हो जाते हैं।
- **मनोसामाजिक प्रभाव:** आर्म्ड कनफ्लिक्ट से प्रभावित बच्चे अक्सर गंभीर मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करते हैं जिसमें हिसा के संपर्क में आना, प्रयोजनों को खो देना तथा इसके अतिरिक्त उनके जीवन में व्यवधान के कारण **पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD)**, चिंता, अवसाद एवं भावनात्मक आघात शामिल हैं।
- **मानवीय सहायता में बाधा:** अनेक संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल तथा आश्रय सहित जीवन-रक्षक सहायता तक सीमिति या कोई पहुँच नहीं मिलती है।
 - मानवीय सहायता में बाधा से बच्चों की असुरक्षा और बढ़ जाती है। **यह बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिये आवश्यक सेवाएँ और सहायता प्रदान करने के प्रयासों में भी बाधा उत्पन्न करता है।**

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस